सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1928 शकाब्द

संख्या 317 राँची, शनिवार 10 जून, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

10 जून, 2006

संख्या–एल०जी०–16–2005–57/लेज०––झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश, जिस पर राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड–1 के अधीन दिनांक 8 जून, 2006 को प्रख्यापित करने की अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :––

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006

(झारखण्ड अध्यादेश 01, 2006)

झारखण्ड राज्य के अर्न्तगत मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) को झारखंड राज्य के अंतर्गत उसके अनुप्रयोग एवं प्रवर्त्तन के संदर्भ में संशोधन के लिए अध्यादेश ।

प्रस्तावना :– चूँकि, झारखण्ड राज्य की विधान–सभा सत्र में नहीं है,

और, चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन करने एवं कतिपय नये प्रावधान जोड़ने हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिये अब, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

(i) यह अध्यादेश झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।

(iii) यह दिनांक 1 अप्रील, 2006 के प्रभाव से प्रवृत समझा जाएगा ।

2. धारा 2 के खण्ड *(xxix)* (अर्थात् इनपुट कर की परिभाषा) में संशोधन। -

इस धारा के द्वितीय परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्नवत जोड़ा जाएगा :-

'' परन्तु यह और कि पुनर्विक्रेताओं के मामले में ड्रग्स (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर 1995 में विनिर्दिष्ट दवाओं अथवा ड्रग्स की पुनर्बिकी के समय अधिकतम खुदरा मूल्य पर भारित किया गया कर, इनपुट कर के रूप में नहीं माना जाएगा। ''

3. धारा 2 के खण्ड (xlviii) में परिभाषित ''विकय मूल्य'' में स्पष्टीकरण IV का अन्तः स्थापन । -

इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xlviii) के विद्यमान स्पष्टीकरण (III) के बाद एक नया स्पष्टीकरण IV, निम्नवत् जोड़ा जाएगा :-

स्पष्टीकरण IV - इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, किसी अन्य व्यवसायी को ड्रग्स (प्राइस कन्ट्रोल) ऑर्डर 1995 में विनिर्दिष्ट मालों की बिकी करने वाले व्यवसायी के लिए, अभिव्यक्त ''विकय मूल्य'' से अभिप्रेत, इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xxxiii) में यथा निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्य है।

4. धारा 8 की उपधारा (5) में खण्ड (ङ.) के रूप में एक नए प्रावधान का अन्तःस्थापन, तथा धारा 8 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) में शब्द ''और'' की जगह शब्द ''या'' का प्रतिस्थापन । -

(ङ.) - (क), (ख) और (ग) से अलग किसी अन्य बिकी या खरीद अथवा बिकियों या खरीदों की श्रेणी में लगे हुए है, के लिए विहित सीमा, समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट होगी।

धारा 8 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त शब्द ''और'' की जगह शब्द ''या'' का प्रतिस्थापन, जो निम्नवत् पढ़ा जाएगा :-

''(ख) आवर्त में किसी व्यवसायी द्वारा अपनी ओर से और साथ ही अपने मालिक की ओर से, किए गए सभी विकय या कय, चाहे प्रकट किए गए हों अथवा नहीं, सम्मिलित होंगे ।''

5. धारा 9 की उप धारा (1) के परन्तुक का विलोपन तथा विद्यमान उपधारा (1) के बाद एक नई उप धारा (2) का अन्तः स्थापन । -

(क) धारा 9 की उप धारा (1) का परन्तुक विलोपित किया जाएगा ।

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के बाद एक नई उप धारा (2) निम्नवत अन्तः स्थापित की जाएगी :-

'' (2) इस धारा में कुछ अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई निबंधित व्यवसायी, जो (बल्क ड्रग्स एण्ड नन ड्रग्स (प्राइस कन्ट्रोल) ऑर्डर 1995 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दवाओं यथा आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी या होमियोपैथिक दवाओं को छोड़कर) अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची II के खण्ड ''ख'' के

क्रम संख्या 85 में यथा विनिर्दिष्ट दवाओं एवं औषधियों का आयात अथवा विनिर्माण करता है, अपने द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भुगतेय कर के स्थान पर ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर पूर्ण दर से कर का भुगतान कर सकता है।

परन्तु यदि व्यवसायी के द्वारा ऐसी वस्तुओं का क्रय –

(क) किसी आयातक अथवा विनिर्माता से ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करके किया गया है; अथवा

(ख) किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से किया गया हो, जिसमें झारखण्ड राज्य में पूर्ववर्त्ती चरण पर ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान कर दिया था,

क्रेता व्यवसायी, ऐसे मालों की झारखण्ड राज्य में पुनर्बिक्री के समय, अधिनियम में अन्यत्र कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसी शर्त्तों एवं बंधेजो के अधीन तथा ऐसी रीति से जो इस हेतु विहित या अधिसूचित हो, अपने द्वारा ऐसे मालों के क्रय के समय भुगतान किए गए कर की राशि को क्रेता से वसूल करने का हकदार होगा।

परन्तु यह और कि ऐसी वस्तुओं की पुनर्बिक्री करने वाला व्यवसायी ऐसी वस्तुओं पर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतेय कोई भी कर भारित नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि यदि व्यवसायी अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान का विकल्प चुनता है तो अनुवर्त्ती क्रेता व्यवसायियों को इनपुट कर क्रेडिट अनुमान्य नहीं होगा ।

(ग) विद्यमान उप धारा (2) तथा (3) अब उपधारा (3) तथा (4) के रूप में पुन: क्रमांकित होंगे।

6. धारा 18 में संशोधन । –

धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (iii) में शब्द ''कच्चे माल'', के बाद विराम चिन्ह, अल्पविराम एवं शब्द ''या'' की जगह शब्द ''और'' प्रतिस्थापित होगा ।

7. धारा 22 में निम्नवत् संशोधन एवं प्रतिस्थापन । –

इस धारा के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द ''रिटेलर्स'' की जगह शब्द ''डीलर्स'' प्रतिस्थापित होगा ।

द्वितीयक परन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा : –

'' परन्तु यह और कि यदि सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, किसी ऐसे निबंधित व्यवसायी को जो एक विनिर्माता भी हो, कतिपय शर्त्तो एवं बंधेजों के साथ अधिसूचना के द्वारा एक निश्चित अवधि हेतु अनुमानित कर का भुगतान करने की अनुमति दे सकेगी। ''

8. धारा 23 में निम्नवत् संशोधन एवं प्रतिस्थापन । -

" सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के किसी भी वस्तु में कुछ जोड़ या विलोपन या संशोधन/परिवर्त्तन कर सकती है। "

9. धारा 58 में संशोधन । -

इस धारा की उप धारा (3) में अंक '29' तथा विरामचिन्ह, "अल्पविराम" विलोपित किया जाएगा।

10. धारा 69 में संशोधन। -

(i) धारा 69 की उपधारा (2) का खण्ड (i) विलोपित किया जाएगा।

(ii) धारा 69 की उपधारा (2) के विद्यमान खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) धारा 69 की उपधारा (2) के खण्ड (i) तथा खण्ड (ii) के रूप में पुनः कमांकित होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

10 जून 2006

संख्या-एल०जी०-16-2005-58/लेज०--झारखण्ड राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जून, 2006 को प्रख्यापित झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा :-

THE JHARKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE 2006

(Jharkhand Ordinance 01, 2006)

An Ordinance to amend Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Preamble -

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and, whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006).

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:

1. **Short title, extent and commencement** - (i) This Ordinance may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2006

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall be deemed to have come into force w.e.f. 1st April, 2006.

2 Amendment in Clause (xxix) of Section 2 i.e. definition of Input Tax.

After the second proviso; a new proviso as under shall be added: -

"Provided further, that tax charged at Maximum Retail Price; shall not be treated as Input Tax, for the purpose of resellers, when reselling medicines or drugs, specified in the Drugs (Prices Control) Order 1995."

3. Insertion of Explanation IV into the definition of 'Sale Price' vide Clause (xlviii) of Section 2

After the existing explanation (III) of clause (xlviii) of Section 2 of this Act, a new explanation shall be inserted, as follows :-

Explanation IV – For the purpose of this clause, the expression "sale price" shall mean, the maximum retail price, as referred to in clause (xxxiii) of Section 2 of this Act, for a dealer, selling goods, specified in Drugs (Prices Control) Order 1995, to any other dealer.

4. Insertion of new provision as clause (e) in sub-section (5) of Section 8, and substitution of word "or" in place of word "and" in clause (b) of Sub-section (6) of Section 8.

"(e) is engaged in any other sales or purchases or class of sales or purchases: other than (a), (b) and (c); the specified quantum shall be, as specified in this behalf, from time-to-time."

Substitution of the word "or" for the word "and" in clause (b) of sub-section (6) of Section 8, which shall read as under: -

"(b) the turnover shall include all sales or purchases made by a dealer on his own account and also on behalf of principals whether disclosed or not."

5. Deletion of the proviso of sub-section (1) of Section 9, and inclusion of a new sub-section (2) after the existing sub-section (1).

(a). The proviso of sub-section (1) of Section 9 shall be deleted.

(b). After the sub-section (1) of Section 9, a new sub-section (2) shall be inserted as follows :-

"(2) Notwithstanding anything contained in this Section, any registered dealer, who imports into or manufactures Medicines and Drugs; as specified in the Sl. No. 85 of the Part B of Schedule II, excluding Bulk Drugs and Non Drugs (Prices Control) Order 1995 Medicines, such as Ayurvedic, Siddha, Unani or Homeopathic medicines, appended to the Act; in Jharkhand, may, at his option, pay, tax at the full rate on the Maximum Retail Price of such goods, in lieu of tax payable by him under Sub-section (1) of Section 9 of the Act.

Provided that where a dealer has purchased such goods, —

(a) from an importer or a manufacturer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods; or

(b) from another registered dealer, where tax on the maximum retail price of such goods was paid in Jharkhand at an earlier stage,

the purchasing dealer, while making resale of such goods in Jharkhand, shall, notwithstanding anything contained elsewhere in the Act, be entitled to recover from the buyer, the amount of tax paid by him at the time of purchase of such goods, under such conditions and restrictions, and in such manner, as may be prescribed or notified in this behalf.

Provided further that the dealer making resale of such goods, shall not levy any tax payable under the Act, on such goods."

Provided further that if dealers opt to pay tax on maximum retail price; no input tax credit shall be admissible to the subsequent purchasing dealers.

(c). The existing sub-section (2) & (3) shall be renumbered as sub-section (3) & (4).

6. Amendment in Section 18

In clause (iii) of sub-section (4) of Section 18, after the words 'raw material', the punctuation mark comma and word "or" shall be substituted by the word "and".

7. Amendment and substitution thereof in Section 22 as under: -

In the title of this Section, the word 'Retailers' shall be substituted by the word 'Dealers'

After the second proviso, the third proviso shall be inserted as follows:-

" Provided further that if the Government considers it necessary to do so, in the public interest, may allow any registered dealer, who may be a manufacturer to pay presumptive tax, notified in this behalf ,with certain conditions and restrictions for a specific period."

8. Amendment and substitution thereof in Section 23 as under: -

"The Government may, by notification, add to or delete or amend or alter any of the items in the Schedules appended to this Act"

9. *Amendment in Section 58*

In sub-section (3) of this Section, the figure ' 29 ' and the punctuation mark comma shall be deleted.

10. Amendment in Section 69.

(i) The Clause (i) of sub-section (2) of Section 69 shall be deleted

(ii) "The existing clause (ii) and clause (iii) of sub-section (2) of Section 69 shall be renumbered: as clause (i) and clause (ii) of sub-section (2) of Section 69."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 317--300+400--शनि मुण्डा ।